

Singh
Mehra
24/11/21

24-11-21 पञ्चवली माननीय न्यायालय राजस्व
मंडल राजस्थान, अजमेर से पत्र क्रमांक/
राम/न्याय/1270/2021/निगा/टीए/ता.क्र./
6-10-2021 दिनांक 9-11-2021 के साथ मूल
पञ्चवली इन निर्देशों के साथ प्राप्त हुई है
कि निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की
जाकर उपखण्ड अधिकारी रूपनगर के आदेश
दिनांक 17-4-21 को प्राथमिक-पर अन्तर्गत आदेश
1 नियम 10 सी.पी.सी. की हद तक बिरस्त किया
जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी रूपनगर
को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता
है कि वह समय पर को सुनकर प्राथमिक-पर अन्तर्गत
आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. पर स्पष्ट कारण

From no |||

फर्द अहकाम

(नियम 26)

दालत उपखण्ड अधिकारी

मुकाम-रूपनगढ़ जिला अजमेर

शुवण लाल

बनाम

गिरधारी

किस्म मुकदमा :- २१२ R.T.A. ४

नंबर २६ वर्ष 20१०

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नंबर व तारीख अहकाम जो इस
हुकम की तामील में जारी हुए

साहित विवेचना युक्त ओदेशा पारित करे।
मूलवाद की पत्रावली आज दिनांक १५-१-
११ की तारीख पेशी में नियत हो चुकी
मूलवाद अदम हाजरी/अदम पैरवी
में खारिज किया जा चुका है, इसलिए
उक्त प्रकरण सारलीन होने से कोई
कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से खारिज
किया जाता है।

पत्रावली फ्रेंसल शुमार होकर
नम्बर से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)